MR DEPUTY SPEAKER: Mr. Kamath, are you pressing your amendments?

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Well, I do not know. I am not sure because this is a very unsatisfactory explanation.

MR DEPUTY SPEAKER: In spite of that, you would not press it.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I just feel pressing one of my amendments—amendment No. 3.

My amendments No. 1 and 3 go together.

MR. DEPUTY SPEAKER: Either you move both or you do not press for them.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Of course, I would prefer, if you agree, at the last moment, it may be referred back to the B.A.C. Under the proviso, the B.A.C. may decide. I would move the amendment. And under the proviso to Rule 290, the B.A.C. may re-consider the matter.

MR. DEPUTY SPEAKER: The B.A.C. seems to have discussed at length I do not know....

SHRI HARI VISHNU KAMATH : It was perhaps a cursory and desultory discussion.

SHRI RAVINDRA VARMA: The hon. Member has a right to move his amendment to send it back to the B.A.C. I do not contest this. It is a question of racing against time. If you send it back, it takes time and a few hours are lost. Therefore, I would appeal to him to see things pragmatically, and not to press them.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : As *via media*, this afternoon the B.A.C. may meet to reconsider the matter. And tomorrow we agree to sit without lunch break and let the report come back and we shall see whether they still insist on it.

MR. DEPUTY SPEAKER: I suggest one thing. We adopt the report. Perhaps your view may be put to the B.A.C. and they will reconsider if they want it. I think you do not press your amendment. That would be better.

The question is:

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 4th May, 1979"

The motion was adopted.

13.17 hrs

RE: TIME FOR GIVING NOTICES OF ADJOURNMENT MOTIONS, CALLING ATTENTION ETC.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, consequent upon the change in the series of sittings of Lok Sabha, with effect from Tuesday, the 8th May, 1979, the notices of adjournment motion, calling attention, matters under Rule 377 or any other notices required to be given before the matter is proposed to be raised in e House will be entertained upto 9-30 A.M. on that day. The notices received after 9-30 A.M. will be treated as notices given for the next sitting.

Now, the House stands adjourned till 14-15 hours.

13.18 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fifteen Minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377.

(i) SERVICE CONDITIONS OF EMPLOYEES OF CANTEENS RUN BY DEPARTMENTS OR COOPERATIVES

श्री युवराज (कटिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

1. भारत सरकार के भवनों में भारत सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चल रहे कैन्टीन विभागीय हों अथवा सहकारी— इनमें कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, वेतन, सुविधायें आदि का अभाव, इनकी स्थिति दयनीय है।

2. आजादी के 32 वर्षों बाद भी कैन्टीन मजदूर ही एक ऐसा वर्ग रहा है जिसके लिए सरकार ने आज तक कोई कानून नहीं बनाया। गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं भारत सरकार के अनेकों विभागों के रहते हुए भी कैन्टीन श्रमिकों का शोषण होता रहा है। सरकार ने खेतिहर मजदूर, ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले मजदूर, दूकान एवं होटलों में कार्यरत श्रमिकों एवं गृह कार्य कर रहे मजदूरों के लिए श्रम कानून बनाया, उनकी सुविधाओं के प्रति सरकार ने ध्यान दिया, उनका शोषण रोका लेकिन कैन्टीन मजदूरों को इन सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया जबकि इनका रोज का काम सरकारी अधिकारियों की सेवा करना ही है।

अपनी बातों को रखने के लिए यह अधिकारी वर्ग कैन्टीन की व्यवस्था की अदला बदली करते हैं, कभी सहकारी ढंग से चलाने की नीति तो कभी विभागीय चलाने की नीति अपनाते रहते हैं। परिणामस्वरूप इसके कार्यरत कर्मचारी रातों रात निकाल दिए जाते हैं। और नयी भर्ती शुरू हो जाती है। मालूम पड़ता है कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं।

दूसरी ओर ये सरकारी अधिकारी अपने हकों के लिए सरकार से लड़ते हैं कमीशन का निर्माण करते हैं और अन्य अनेकों पद्धतियों से सुविधायें प्राप्त कर लेते हैं। सरकार भी इनकी मांगें मान लेती है, लेकिन इन अधिकारियों के अधीन कार्यरत कैन्टीन कर्मचारी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। देश में महंगाई बढ़े तो महंगाई भत्ता इन्हें मिले, तनख्वाह बढ़े तो इन्हें मिले, शहरी भत्ता मकान भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता और अन्य अनेकों भत्ते तो इन्हें ही मिलें लेकिन कैन्टीन कर्मचारी अपने परिवार के साथ भूखा रहे। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है।

इसी प्रसंग में कुछ विभागों की दोरंगी नीति की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इन्डियन पेट्रो कैमीकल्स इन्डियन आयल, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, इन्डियन एयर लाइन्स, रेलवे आदि ने तो अपने विभाग में कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी विभागीय कर्मचारी बना दिया है। इनके जैसे कार्य करने वाली संस्था टी बोर्ड एवं काफ़ी बोर्ड का भी उदाहरण सामने है। सरकार ने उन्हें अपने कर्मचारी माना है और वे सारी सहूलियतें दी हैं जो सरकारी अधिकारियों को मिलती हैं, लेकिन जब कभी कैन्टीन मजदूरों का सवाल उठाया गया है, तो इन का मजाक ही उड़ाया गया।

जनता सरकार ने अपने दो वर्ष के शासन में ही ऐसे अनेकों तरह के कर्मचारियों को अनेक सुविधायें दी हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया है और जो बचे हैं उनके लिये भी एक ठोस कदम उठाने का निश्चय किया हुआ है। फिर भी ये कैन्टीन मजदूर उपेक्षित ही हैं।

कैन्टीन मजदूर सभा ने दिनांक 9-3-79 को माननीय गृह मंत्री श्री एच० एम० पटेल जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिस में मांग की थी कि इन कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी बनाया जाये और इन्हें वे सारी सुविधायें दी जायें जो सरकारी कर्मचारी को भारत सरकार देती है। लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से कोई भी ठोस कदम उपरोक्त मांगों की पूर्ति के लिये अभी तक नहीं उठाया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे तथा उनकी मांगों को मंजूर करा कर उन्हें सरकारी कर्मचारी बनायेंगे।

(ii) REPORTED RACKET IN COMMERCIAL AND RESIDENTIAL REAL ESTATE BUSINESS IN THE CAPITAL.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: (*Azamgarh*): Mr. Chairman, Sir, there is a racket in operation for a number of years which is being run by some promoters and brokers in commercial and residential real estate business in the Capital. A very large number of officials in the works and Housing Ministry, D.D.A. and local bodies are suspected to be involved in the racket. All these people, combined together, have defrauded the exchequer of crores of rupees. It came to light only when the Income-tax Intelligence authorities came to know of some suspicious entries in the accounts submit-